



SU/2014/FIN-03/2018/67/Vol-IV/ 1474

Dated: 31.12.2019

NOTIFICATION - 175 2019

Subject: University monthly contribution to National Pension System (NPS) enhanced from the present 10% to 14% of the Basic Pay plus DA vide Ministry of Finance's Gazette Notification dated 31st January, 2019 w.e.f. 01.04.2019.

This is for information to all Regular Teaching and Non-Teaching employees of the University that the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, IF-I Section vide letter no. F.No. 23011/1/2019-IF.I dated 3rd April, 2019 and UGC Circular No. F.1/3/2016PR (Adm.I/A&B) dated 26th February, 2019 enclosing Ministry of Finance's Gazette Notification dated 31st January, 2019 has amended the rate of University contribution in the National Pension System (NPS).

As per the Notification, in partial modification of para 1(i) of Ministry of Finance's Gazette Notification No. 5/7/2003-ECB-PR dated 22nd December, 2003, on National Pension System (NPS), the monthly University contribution has been enhanced by the Central Government from the present 10% to 14% of the Basic Pay plus DA vide Notification dated 31st January, 2019.

The Hon'ble Vice-Chancellor has approved the University monthly contribution on National Pension System (NPS) @ 14% of the Basic Pay plus DA on the salary of Regular Teaching and Non-Teaching employees in Sikkim University.

(Debasish Pal)

Finance Officer

Copy to:

1. PS to Vice-Chancellor for kind information of Vice-Chancellor
2. PS to Registrar
3. PS to Controller of Examinations
4. Librarian for kind information
5. Internal Audit Officer
6. All Officers of the University
7. All Teaching Staff
8. All Non-Teaching Staff
9. Website Committee for uploading the Notification in University Website
10. All Notice Board
11. Guard File



SU/2014/FIN-03/2018/67/Vol-IV/ 1474

दिनांक: 31.12.2019

अधिसूचना - 175 2019

विषय : वित्त मंत्रालय के दिनांक 31 जनवरी 2019 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में विश्वविद्यालय का मासिक अंशदान दिनांक 01.04.2019 से मूल वेतनमान जोड़ डीए के वर्तमान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया।

यह विश्वविद्यालय के सभी नियमित शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए सूचनार्थ है कि उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आईएफ-आई अनुभाग के दिनांक 3 अप्रैल 2019 के पत्र सं.एफ.सं. 23011/1/2019-IF.I और यूजीसी के दिनांक 26 फरवरी 2019 के परिपत्र संख्या F.1 / 3 / 2016PR (Adm.I / A & B) द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में संशोधन के संबंध में 31 जनवरी 2019 को वित्त मंत्रालय के गज़ट अधिसूचना में संशोधन किया गया।

अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर 22 दिसंबर, 2003 को वित्त मंत्रालय के गज़ट अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ECB-PR के पैरा 1 (i) में आंशिक संशोधन करते हुए 31 जनवरी 2019 के अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय के मासिक अंशदान को केंद्र सरकार द्वारा मूल वेतन जोड़ डीए के वर्तमान 10% से 14% तक बढ़ाया गया है।

कुलपति के अनुमोदन से सिक्किम विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण और गैरशिक्षण कर्मचारियों के वेतन पर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर मूल वेतन जोड़ डीए के 14% तक का अंशदान लागू किया जा रहा है। ।

देवाशीष पाल

(देवाशीष पाल)

वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. परीक्षा नियंत्रक के निजी सचिव
4. पुस्तकालयाध्यक्ष के सूचनार्थ
5. आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी
6. विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी
7. सभी शिक्षण कर्मचारी
8. सभी गैर शिक्षण कर्मचारी
9. वेबसाइट समिति - विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अधिसूचना को अपलोड करने हेतु
10. सभी सूचना पट
11. सुरक्षा फाइल